न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 17/2017

उनवान

सुनिल वगै0 बनाम अशोक वगै0

1. सुनिल आयु 48 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. अनिल आयु 46 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. ललित आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. नरेन्द्र आयु 41 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. विजेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—वादीगण

बनाम

1. अशोक आयु 54 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. सुरेश कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. जगदीश आयु 49 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. मनोज कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. बलवीर आयु 44 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. रूपेन्द्र आयु 41 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. पुरूषोतम आयु 67 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. बाबुलाल आयु 63 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. सोम कुमार आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 17/2017

उनवान

सुनिल वगै0 बनाम अशोक वगै0

1. सुनिल आयु 48 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. अनिल आयु 46 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. ललित आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. नरेन्द्र आयु 41 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. विजेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. अशोक आयु 54 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. सुरेश कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. जगदीश आयु 49 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. मनोज कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. बलवीर आयु 44 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. रूपेन्द्र आयु 41 वर्ष पुत्र देबुराम जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. पुरूषोतम आयु 67 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. बाबुलाल आयु 63 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. सोम कुमार आयु 60 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

10. सुभाष आयु 58 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

11. महेन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

12. निर्मल आयु 48 वर्ष पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

13. महेन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

14. चन्द्रा पत्नी स्व. रविन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

15. अंकित आयु 12 वर्ष स्व. रविन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये वली कुदरती माता चन्द्रा पत्नी स्व. रविन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

16. अमित आयु 10 वर्ष स्व. रविन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये वली कुदरती माता चन्द्रा पत्नी स्व. रविन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भडुन्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं।

17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

<u>वादपत्र बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भडुन्दा खुर्द पटवार हल्का इण्डाली में भूमि गत ख.नं. 320 रकबा 12 बीघा 15 विश्वा, ख.नं. 322 रकबा 2 बीघा 6 विश्वा स्थित है। जिसके वर्तमान ख.नं. 979 रकबा 1.10 हैक्टर, ख.नं. 980 रकबा 0.55 हैक्टर, ख.नं. 981 रकबा 0.56 हैक्टर, ख.नं. 982 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 983 रकबा 0.25 हैक्टर, ख.नं. 984 रकबा 0.51 हैक्टर, ख.नं. 990 रकबा 0.23 हैक्टर, ख.नं. 991 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.नं. 992 रकबा 0.12 हैक्टर, ख.नं. 1000 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज महादेव पुत्र हरनन्द की खातेदारी की भूमि थी। महादेव का एक भाई चूना था उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी मोहरी की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके कोई सन्तान नहीं है। महादेव के चार पुत्र सन्तान थे देबुराम, जयनारायण, [illegible] व रामसहाय चारो की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण सागर के वारिसान है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 देबुराम के वारिसान है तथा 7 लगायत 11 जयनारायण के वारिसान है तथा 12 लगायत 16 रामसहाय के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 16 वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में सह खातेदार है। वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में केवल देबुराम राजस्व रिकार्ड में केवल देबुराम के वारिसान का इन्द्राज है। मोहरी की मृत्यु हो चुकी है। वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं. 7 लगायत 16 का नाम आना [illegible] था राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उक्त भूमि में केवल देबुराम के वारिसान का इन्द्राज कर दिया जिसको वादीगण व प्रतिवादीगण 7 लगायत 16 पाबन्द नहीं है। वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के पूर्वजों ने पूर्व से ही विभाजन कर रखा है तथा उक्त विभाजन का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 में कोई विवाद भी नहीं है। वादीगण वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि काश्त करते है। अर्थात 1.26 हैक्टर भूमि वादीगण काश्त करते है व काबिज है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 शेष बची 2/3 भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा काश्त करते है अर्थात प्रतिवादीगण 1 लगायत 6, 0.84 हैक्टर, प्रतिवादीगण 7 लगायत 11, 0.84 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण 12 लगायत 16, 0.84

अंतर भूमि काश्त करते हैं व काबिज है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 को घर की भूमि में हिस्सा अधिक दिया गया है इसलिये घर की भूमि में हक छोड़ने के कारण वादीगण को अधिक भूमि हिस्से में आई है तथा उक्त हिस्से बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 में कोई विवाद भी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 वाद की धारा 4 के अनुसार ही अपने पूर्वज के समय से अलग अलग काश्त करते हैं व काबिज है। वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं आने के कारण वादीगण को अपने अधिकार के लिये यह दावा करना आवश्यक हुआ। वाद की धारा 4 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अर्थात वादीगण को 1/3 हिस्से का व 1.26 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शेष 2/3 हिस्से में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं. 7 लगायत 11 को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण नं. 12 लगायत 16 को व क्रमशः 0.84 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा अलग अलग लगान व पास बुक जारी किये जावे। उक्त दावा वाद कारण जब वादीगण ने 11.03.2016 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तब वादीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद डिक्री इस अमर का फरमाया जावेः—(क) वादीगण को वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। शेष 2/3 में 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को व 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण नं. 12 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे अर्थात 1.26 हैक्टर का वादीगण को 0.84 हैक्टर का प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 को तथा 0.84 हैक्टर का प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 को तथा 0.84 हैक्टर का 12 लगायत 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार अलग अलग विभाजन व अलग लगान व पास बुक जारी की जावे। (ख) वाद में वर्णित अनुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते हैं व काबिज है उक्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर अन्तिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 ने जबाव दावा पेश कर वाद पत्र की धारा क, ख स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 17 की तरफ से राजकीय अभिभाषक ने आदेशिका पर अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किया जा सकता हो व राजस्व हानि न हो तो कोई एतराज नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.10.2018 को उपस्थित न्यायालय आकर राजीनामा पेश किया कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, जबाव दावा प्रतिवादीगण का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर अंतिम रूप से डिकी किये जाने का निर्णय लिया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-6-2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 17/2017

उनवान

सुनिल वगै0 बनाम अशोक वगै0

दावा बाबतः–घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांकः– 20-6-2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वर्मा, प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामावतार उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 20-6-2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम	4 36	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी दावा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम मुतफरिक	36
योग	40		36

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)